

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या :- 76 / भू0अ0,

पलामू, दिनांक :- 23/01/2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रेड़मा, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-188, अंचल-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू एवं ग्राम-चियांकी, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-206, अंचल-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना चियांकी हवाई अड्डा का विस्तारीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रेड़मा, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-188, अंचल-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू एवं ग्राम-चियांकी, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-206, अंचल-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 12.36 ¼ एकड़ यानि 5.007 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

ग्राम-रेड़मा, थाना सं0-188, कुल रकबा-6.18

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	394	2728	-	टाड़ 3	0.40	मुनेश्वर तिवारी, रामानंद त्रिपाठी, श्यामानंद त्रिपाठी, विवेकानंद त्रिपाठी पिता स्व० काशीनाथ त्रिपाठी 4 अंश, अनुंज त्रिपाठी पिता स्व० परमानंद त्रिपाठी 1 अंश	2018 2028	2028 2018	2014	2727
2	394	2728	-	टाड़ 3	0.35 ½	शारदा देवी पति परमानंद त्रिपाठी	2018 2028	हवाई अड्डा	2014	2727
3	510	2727	-	धान	0.18	सुग्गा राम तिवारी वैगरह	2727	2727	2728	रेलवे भूमि
4	510	2013	-	धान	0.04	सुग्गा राम तिवारी वैगरह	2013	2013	2013	2013
5	510	2017/2018 2014	-	धान	0.95	सुग्गा राम तिवारी वैगरह	2014	2013	2012	2028
6	394	2728	-	टाड़	1.13	पारसनाथ तिवारी, प्रबोध तिवारी, सुन्देश्वर तिवारी पिता स्व० शिवबरण तिवारी 1 अंश, अर्जुन तिवारी, अरूण तिवारी, मनोज तिवारी पिता स्व० गिरि तिवारी 1 अंश सच्चिदानंद तिवारी पिता स्व० देववश तिवारी 1 अंश	2013	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	2727

7	165	2013	—	टाड़	1.26	पारसनाथ तिवारी, प्रबोध तिवारी, सुन्देश्वर तिवारी पिता स्व० शिवबरण तिवारी 1 अंश, अर्जुन तिवारी, अरुण तिवारी, मनोज तिवारी पिता स्व० गिरि तिवारी 1 अंश सच्चिदानंद तिवारी पिता स्व० देववश तिवारी 1 अंश	2012 2014 2728	2728	2728	2727
8	—	2012	—	टाड़	0.09 ¼	अवधेश तिवारी, विन्देश्वर तिवारी, दिनेश तिवारी पिता स्व० हरि तिवारी 3 अंश, राजन तिवारी निरंजन तिवारी राजु तिवारी पिता.....1 अंश	2012	2013 2728	2728	2728
9	—	2014	—	टाड़	0.64 ½	अवधेश तिवारी, विन्देश्वर तिवारी, दिनेश तिवारी पिता स्व० हरि तिवारी 3 अंश, राजन तिवारी निरंजन तिवारी राजु तिवारी पिता.....1 अंश	2014	2013	2011 2728	2728
10	—	2012	—	टाड़	0.03 ¾	मीणा देवी पति रविन्द्र तिवारी	2012	2013 2728	2011 2728	2014
11	—	2012	—	टाड़	0.03 ¾	सतेन्द्र यादव पिता.....	2012	2013 2728	2011 2728	2014
12	—	2012	—	टाड़	0.03 ¾	—	2012	2013 2728	2011 2728	2014

ग्राम-चियांकी, थाना सं०-206, कुल रकबा-6.18 ¼

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1999	बकास्त	टाड़	0.18 ¾	सुधीर कुमार तिवारी, आलोक कुमार तिवारी पिता अभिमन्यु तिवारी	N.H-75 सडक	1998	70	69
2	2	1999	बकास्त	टाड़	0.10	सुशीला देवी पति अभिमन्यु तिवारी	N.H-75 सडक	1998	70	69
3	2	69	बकास्त	टाड़	0.19	उद्यानंद चौबे पिता सीताराम चौबे	N.H-75 सडक	67	1998 1999	1857
4	2	69	बकास्त	टाड़	0.12	महेन्द्र दुबे पिता बटेश्वर दुबे	N.H-75 सडक	67	1998 1999	1857
5	2	69	बकास्त	टाड़	0.20	सविता सराफ पति कृष्ण कुमार सराफ	N.H-75 सडक	67	1998 1999	1857
6	2	69	बकास्त	टाड़	1.34	कृष्ण कुमार सराफ पिता स्व० मुरलीधर सराफ	N.H-75 सडक	67	1998 1999	1857
7	2	1998	बकास्त	टाड़	0.30	कृष्ण कुमार सराफ पिता स्व० मुरलीधर सराफ	1999	हवाई अड्डा 1997	70	67
8	2	1999	बकास्त	टाड़	0.08	कृष्ण कुमार सराफ पिता स्व० मुरलीधर सराफ	1999	हवाई अड्डा 1997	70	67

9	2	1997	बकास्त	टाड़	0.10	कृष्ण कुमार सराफ पिता स्व० मुरलीधर सराफ	69 1998	हवाई अड्डा 1997	हवाई अड्डा	67
10	2	67	बकास्त	टाड़	0.38	कृष्ण कुमार सराफ पिता स्व० मुरलीधर सराफ	69	66	1997	हवाई अड्डा
11	20	70	—	टाड़	0.27	विकास कु० अग्रवाल पिता जवाहरलाल अग्रवाल, विकेश कु० तिवारी पिता स्व० सोनभद्र तिवारी	N.H-75 सडक	हवाई अड्डा	71	1999
12	—	68	—	परती	0.05	अज्ञात	69	69	69	1857
13	—	69	—	परती	0.79	अज्ञात	69	69	69	N.H-75 सडक
14	—	67	—	परती	0.47	युगेश्वर तिवारी एवं अन्य	69	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा
15	—	66	—	परती	0.18	अज्ञात	67	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा
16	—	1997	—	परती	0.07	अज्ञात	69	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	67
17	—	1998	—	परती	0.44	अज्ञात	1999	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	69
18	—	1999	—	परती	0.88	अज्ञात	N.H-75 सडक	1998	79 हवाई अड्डा	1999
19	—	71	—	परती	0.04	अज्ञात	N.H-75 सडक	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	70

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल सदर मेदिनीनगर को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

20/1/18
20/1/18

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

20/1/18
20/1/18